कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बहोरीबंद, जिला कटनी (म.प्र.)

क्रमांक / 361 / अ.वि.अ. / 2024 बहोरीबंद दिनांक 09 / 11 / 2024

// कारण बताओ नोटिस //

प्रति,

श्री सुयश सिंघई
पटवारी हल्का नंबर 32 ग्राम कूडा
तहसील बहोरीबंद

----000----

एतत् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम–16 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित है। अवचार या दुर्व्यहार के अभिकथन जिन पर उपर्युक्त कार्यवाही प्रस्तावित है, जिसका विवरण इस प्रकार है:–

तहसीलदार बहोरीबंद के द्वारा पत्र क्रमांक 789 / का0गो0 / तह0 / 2024 बहोरीबंद दिनांक 09.11.2024 द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील बहोरीबंद अंतर्गत धान पंजीयन के सत्यापन का कार्य चल रहा है, धान सत्यापन की अंतिम तिथि 11.11.2024 है। अतः उक्त कार्य को समय–सीमा में पूर्ण किये जाने हेतु मेरे द्वारा तहसील कार्यालय बहोरीबंद के शासकीय व्हाट्सएप्प ग्रुप में दिनांक 08.11.2024 को सुबह 07:49 बजे सभी हल्का पटवारियों को निर्देशित किया था कि जिन लोगों का धान सत्यापन का कार्य अपूर्ण है वे तहसील कार्यालय पहुंचकर धान सत्यापन का कार्य समय–सीमा में पूर्ण करें। चूंकि उक्त कार्य को समय–सीमा में पूर्ण किया जाना है अतः कोई भी अवकाश मान्य नही होगा। उक्त निर्देश के पश्चात श्री सुयश सिंघई, पटवारी जो कि ग्राम कूडा प.ह.नं. 32 तहसील बहोरीबंद में पदस्थ हैं। इनके द्वारा दिनांक 08.11.2024 को ही प्रातः 09:32 बजे स्वास्थ्य खराब होने बावत् व्हाट्सअप के माध्यम से तहसील कार्यालय बहोरीबंद के शासकीय ग्रुप में 01 दिवस के अवकाश बावत् आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आज दिनांक 09.11.2024 को प्रातः 11:48 बजे पुनः मेरे द्वारा तहसील कार्यालय के व्हाट्सएप्प ग्रुप के माध्यम से सभी हल्का पटवारियों को शेष बचे हुए धान सत्यापन के कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। उसके पश्चात श्री सुयश सिंघई पटवारी द्वारा पुनः आज दिनांक 09.11.2024 को दोपहर 01:09 बजे उनके द्वारा पुनः 01 माह के मेडिकल अवकाश बावत् आवेदन पत्र व्हाट्सएप्प के माध्यम से तहसील कार्यालय के ऑफीशियल ग्रुप में प्रेषित किया गया है। उक्त आवेदन में लेख किया गया है कि दिनांक 07.11.2024 को सीढ़ी से गिर जाने के कारण मुझे पीठ में दर्द हो जाने पर डॉक्टर से परामर्श करने पर उनके द्वारा मुझे 01 माह का रेस्ट हेतु सलाह दी गई है। उक्त आवेदन के माध्यम से उनके द्वारा 01 माह का चिकित्सा अवकाश चाहा गया है। उक्त आवेदन ग्रुप में प्रेषित करने के पश्चात श्रीमान जी के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि पता लगायें संबंधित पटवारी वर्तमान मे कहां पर हैं एवं उनके दोनों आवेदनों में विसंगति प्रतीत होती है। अतः उनके मेडिकल अवकाश के आवेदन की जांच कराई जाये। उक्त आदेश के परिपालन में तहसीलदार बहोरीबंद के द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया कि वे अपने छोटा फुहारा, जबलपुर स्थित अपनी दुकान जिसका नाम आदिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स है, मे व्यापार संचालित करते हुए पाये गये। उनका उस बावत वीडियो भी प्राप्त हुआ है। उक्त प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया उनका मेडिकल के आधार पर आवेदन पत्र झूठा होना प्रतीत होता है। क्योंकि मेडिकल अवकाश आवेदन मे लेख किया गया है कि डॉक्टर द्वारा उन्हें एक माह के रेस्ट की सलाह दी गई है यदि वे बीमार स्थिति में है तो उनके द्वारा अपनी जबलपुर स्थित दुकान में कार्य संचालन कैसे किया जा सकता है। अधोहस्ताक्षर्ता द्वारा पूर्व में आदेश जारी कर सभी अधिकारी/कर्मचारी को मुख्यालय में रहने हेतु निर्देशित किया गया था एवं बगैर सक्षम अधिकारी के मुख्यालय न छोडने बावत आदेशित किया गया था। श्री सुयश सिंघई जबलपुर में निवास करते हैं वे अपने मुख्यालय बहोरीबंद में निवास नहीं करते हैं एवं जबलपुर से अप–डाउन करते हैं। उक्त कारण से उनके हल्के के सभी शासकीय कार्य प्रभावित होते रहे हैं। पूर्व मे भी इन्हें कई बार मुख्यालय पर निवास करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित रहने पर सचेत किया गया है परंतु इनके द्वारा पूर्व में जारी आदेश की लगातार अवहेलना की गई है एवं वे जबलपुर से निरंतर अप–डाउन करते हैं। उनके द्वारा लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
बहोरीबंद

तहसीलदार बहोरीबंद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अद्योहस्ताकर्ता एवं तहसीलदार बहोरीबंद के आदेशो/निर्देशों की अवहेलना कर शासन एवं कृषक के समय–सीमा कार्य धान पंजीयन सत्यापन कार्ये हेतु तहसील में दिनांक 08.11.2024 को उपस्थित नही होना तथा अनाधिकृत रूप हल्का एवं तहसील मुख्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थित रहना एवं व्हाटसएप्प में मेडिकल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी आदिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान छोटा फुहारा जबलपुर में व्यसायिक कार्य किया जाता है। जो कि आज दिनांक 09.11.2024 को अपरान्ह लगभग समय 4 बजे जांच कराये जाने पर आपके द्वारा उक्त कार्य संचालित करना पाया गया है जिसका कि प्रमाण स्वरूप वीडियो प्राप्त है। इस प्रकार आप स्वस्थ रहकर दुकान संचालित करते हुये पाये गये है। आपके द्वारा वरिष्ट अधिकारियों को गुमराह करने की मंशा से मेडिकल प्रमाण पत्र तैयार कराकर अवकाश चाहा गया है जो कदाचरण का घोतक है जो आपके कार्य के प्रति घोर लापरवाही ,उदासीनता, अनुशासनहीनता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को किया जाना पाया गया है।

उक्त प्रस्ताव के विरूद्ध जैसा कि आप चाहे, पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एतत् द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है। यदि आप इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 03 दिवस के अंदर अपना पक्ष समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो यह माना जाएगा कि आपके पक्ष में कोई आधार नहीं है तथा आपके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जाकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966, पांचवा भाग के नियम–10 में उल्लेखित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायें।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
बहोरीबंद

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
बहोरीबंद

पृ0क0/ 861 / अ0वि0अ0/रीडर/2024 बहोरीबंद दिनांक 09/11 /2024

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) कटनी की ओर सादर सूचनार्थ।
2. तहसीलदार बहोरीबंद की ओर आवश्यक हेतु संबंधित पटवारी को नोटिस तामील करवाकर अभिस्वीकृति भिजवाना सुनिश्चित करें।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
बहोरीबंद

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
बहोरीबंद